न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 14/2018
जीसीएमएस नं. 76–77/2018
प्रविष्टि दिनांक 24.05.2018

1. राजेन्द्र पुत्र कृष्णगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी विवेकानन्द कॉलोनी, देवली तहसील देवली जिला टोंक राज.।
2. सावित्री पुत्री कृष्णगोपाल पत्नि रामेश्वर निवासी चन्दा टाकिज के सामने, कृष्णा कॉलोनी निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज.।
3. गायत्री पुत्री कृष्णगोपाल जाति भरतभूषण जाति ब्राह्मण निवासी शंकर सदन, गीता भवन के सामने, नेहरू नगर ब्यावर जिला अजमेर राज.।

.....अपीलांटस

बनाम

1. पवन पुत्र स्व. दामोदर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गावडी तहसील देवली जिला टोंक
2. रमेश पुत्र स्व. रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी. ग्राम गावडी तहसील देवली जिला टोंक राज.।
3. महेश पुत्र स्व. रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गावडी तहसील देवली जिला टोंक
4. राकेश पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गावडी तहसील देवली जिला टोंक राज०
5. मुकेश पुत्र बोदू पुत्र मनभर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गावडी तहसील देवली जिला टोंक
6. योगेश पुत्र बुद्धिप्रकाश नाबालिग जरिये संरक्षक पिता एवं माता कमलेश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गावडी तहसील देवली जिला टोंक राज.।

.....रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 872 दिनांक 20.10.2016 तहसीलदार देवली

उपस्थिति : (1) श्री गजेन्द्र शर्मा, अभिभाषक अपीलान्टस
(2) श्री तेजमल जैन एड., अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 ता 5 ।
(3) श्री अशोक गुप्ता एड., अभिभाषक रेस्पो. सं. 6

निर्णय

दिनांक 27/3/26

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अपीलांटस की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खाता संख्या 207 खसरा नम्बरान 12 रकबा 0.25 है०, खसरा नम्बर 125 रकबा 0.14 है0, खसरा नम्बर 235 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.29 है०, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 238 रकबा 0.06 है०, खसरा नम्बर 239 रकबा 0.37 है०, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.29 है० कुल किता 8 कुल रकबा 2.02 है० वाके ग्राम खेडा गावडी तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। तहसीलदार देवली ने उपरोक्त वर्णित

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

आराजीयात का नामांतरकरण संख्या 872 दिनांक 20.10.2016 स्वीकृत कर रेस्पोडेंटस के हक में खोल दिया। उक्त नामान्तरकरण को विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल बताते हुए यह अपील पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रार्थना पत्र दफा 5 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स एवं रेस्पोडेण्ट्स की बहस को सुना गया एवं न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल अपील में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्टस ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि के सम्बंध मे रेस्पोडेंटस सं० 1 ता 5 की माताएं सोहनी देवी एवं मनभर द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली के समक्ष वाद बाबत तकास्मा पेश किया था, जिसके विरूद्ध अपीलांटस की ओर से राजस्व प्राधिकारी टोंक के यहा अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील के निर्णय के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील का निर्णय दिनांक 01.08.2016 को हुआ। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांटस सं० 1 द्वारा दिनांक 26.08.2016 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 10879/2016 प्रस्तुत की गई, इस बीच तहसीलदार देवली ने उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामांतकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलांटस को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नही किया, उन्हें बिना सुने एकतरफा में अपीलाधीन नामांतकरण स्वीकार किया गया है। अपीलांटस वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है, उन्हें नामांतकरण स्वीकृत करने से पूर्व सुना जाना एवं अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत था।

वादग्रस्त आराजीयात के 1/3 हिस्से पर अपीलांटस सं० 1 तथा 1/3 हिस्से पर रेस्पोडेंटस सं० 6 का कब्जा काश्त है, जो विगत कई वर्षों से शांतिपूर्वक चला आ रहा है। तहसीलदार जी ने नामांतकरण करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि पर कब्जे की जांच बाबत कोई कार्यवाही नहीं की। उक्त भूमि पर रेस्पोडेंटस सं० 1 ता 5 का कभी कब्जा नही रहा, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे के अभाव में रेस्पोडेंटस सं० 1 ता 5 के हक में नामांतकरण स्वीकृत कर भूल की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामांतरकरण स्वीकृत करने में राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय को अपना मुख्य आधार बनाया है, जबकि उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 26.08.2016 को रीट संख्या 10879/2016 पेश कर दी थी, जो जेरेकार थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपनें आदेश दिनांक 25.10.2016 को यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन जारी कर दिया, जो जेरेकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को दरकिनार करते हुये एकतरफा में अपीलाधीन नामांतकरण स्वीकृत कर वैधानिक भूल की है, जब अपीलांटस द्वारा दिनांक 26.08.2016 को ही रीट याचिका प्रस्तुत कर दी थी तो दौराने रीट याचिका नामांतरकरण नही भरा जा सकता था। नामांतकरण, राजस्व मण्डल के निर्णय को आधार बनाकर स्वीकृत बताया है, जबकि राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय में उक्त तथ्य बाबत कुछ नही कहा है। उक्त निर्णय के विपरित जाकर अपीलाधीन नामांतकरण स्वीकृत कर कानूनी भूल की है, जो निरस्तनीय है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
टोंक

अधीनस्थ न्यायालय ने मनभर पुत्री लादू का 1/6 हिस्से का नामांतकरण भरा है, जो अवैधानिक है। उक्त मनभर की मृत्यु माननीय राजस्व मण्डल के यहां जब प्रकरण जेरेकार था तभी हो गई थी, जिसका रेस्पोडेंटस के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 21.03.2014 को उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के हक में नामांतकरण भर कर कानूनी भूल की है।

रेस्पोडेंटस सं० 1 ता 5 उक्त नामांतकरण की आड में वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने एवं अपीलांटस के कब्जे में मजाहमत करने पर आमादा है, जिसका उन्हे कोई वैधानिक हक व अधिकार नही है। अपीलांटस सं० 1 के हक में वादग्रस्त आराजीयात का 1/3 हिस्सा जरिये वसीयत प्राप्त हुआ है और उक्त वसीयत आज तक कभी भी किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नही की गई है और ना ही उक्त वसीयत के सम्बंध में रेस्पोडेंटस सं० 1 ता 5 द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि में रेस्पोडेंटस का कोई हक व हिस्सा नही बनता है।

रेस्पोडेंटस सं० 6 अपीलांटस के साथ अपील पेश करने में तैयार नही हुआ है, इसलिये उसे फोरमल पक्षकार बनाया गया है, उसके विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा है। अतः अपील अपीलांट्स पेश कर निवेदन हैं कि प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार देवली द्वारा स्वीकृत नामांतकरण सं. 872 दिनांक 20.10.2016 खारिज फरमाया जावें।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं. 1 ता 5 ने अपीलांट्स की बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंटस संख्या 1 ता 5 की ओर से विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का बाबत भूमि कुल किता 8 रकबा 2.02 हैक्टेयर वाके ग्राम खेड़ा गांवड़ी तहसील देवली इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंटस वादीगण की माता सरजू देवी की खातेदारी की है, वादीगण के माता–पिता के कोई पुरूष संतान नही थी, वादग्रस्त भूमि में हिस्सा 1/3 पर वादीगण का कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण अपीलांट ने राजस्व रिकॉर्ड में "सरजू बेवा लादू" के स्थान पर अपना नाम अवैध रूप से अंकित करा लिया तथा निराधार जवाब देही की कि वादग्रस्त आराजी का सरजू देवी ने अपना हिस्सा दिनांक 10.05.1987 को अपने जीवनकाल में अपीलांट के पिता कृष्णगोपाल के हक में जरिए वसीयत करा दी और इसी आधार पर हम रेस्पोडेंटस की माता सरजू देवी की भूमि का दाखिल खारिज अपने नाम करा लिया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली ने बाद ट्रायल दिनांक 25.10.2007 को रेस्पोडेटस वादीगण का दावा इस आशय के साथ डिकी किया कि वादग्रस्त भूमि का रेस्पोडेंटस (वादीगण) को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया और इसी अनुसार अपीलांटस के पिता कृष्णगोपाल का हिस्सा 2/3 के स्थान पर 1/3 घोषित किया और इसी अनुसार विभाजन रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु तहसीलदार देवली को आदेशित किया।

अपीलांटस (प्रतिवादीगण) द्वारा उक्त निर्णय की अपील राजस्व अपील अधिकारी, टोंक में की गई, जिसमें राज़स्व अपील अधिकारी टोंक ने निर्णय की पुष्टि करते हुए अपीलांटस (प्रतिवादीगण) की अपील खारिज की। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील की गई, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 01.08.2016 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ट्रायल को उपखण्ड अधिकारी देवली के निर्णय दिनांक 25.10.2007 की पुष्टि करते हुए हम रेस्पोडेंट (वादीगण) के पक्ष में 1/3 हिस्से के सम्बंध में जो घोषणात्मक डिकी की गई उसे यथावत रखते हुए अपीलांटस की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की पुष्टि की। मात्र धारा 53 के अनुतोष (बंटवारे) के सम्बंध में अन्य सहखातेदारान को

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

पक्षकार बनाकर विभाजन के सम्बंध में नियमानुसार निर्णय करे। इस हेतु प्रकरण रिमांड किया लेकिन अपीलांटस ने उसे स्वीकार नही किया तथा "उक्त निर्णय की रिट अपीलांटस ने माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में रिट संख्या 10879/2016 पेश की, जिसमें दिनांक 25.10.2016 को यथास्थति का आदेश दिया गया। उक्त आदेश से पूर्व ही राजस्व मण्डल, राजस्व अपील अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी देवली के निर्णयों की पालना में नामांतकरण दिनांक 20.10.2016 को राजस्व रिकॉर्ड में भरा जा चुका था।

उक्त भूमि के सम्बंध में स्वीकृत रूप से सारा मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जहां उक्त भूमि के सम्बंध में निर्णय होना है। जिसमें आगामी पेशी दिनांक 02.02.2026 नियत है। पूर्व में 12.10.2022 को अपीलांट्स की रिट माननीय उच्च न्यायाल द्वारा खारिज की जा चुकी है।

जिस भूमि के सम्बंध में अपीलांटस ने यह अपील पेश की है, वह किसी भी स्थिति में चलने योग्य नही है, क्योंकि रेस्पोडेंट के हक में किया गया 1/3 हिस्से की भूमि का नामांतकरण सक्षम न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णय के आधार पर किया गया है, जो वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है अर्थात Sub Judice है और जहां मैटर सक्षम न्यायालयो ने निर्णित होने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय में Sub Judice हो तो प्राइमाफैसाई प्रस्तुत अपील चलने के योग्य नही है।

जिस फर्जी वसीयत के आधार पर अपीलांटस ने रेस्पोडेंटस की माता सरजू देवी की भूमि को अपने नाम लगाई है, वह सक्षम न्यायालयो द्वारा अवैध करार दी जाकर निर्णय पारित किये गये है और सभी राजस्व न्यायालयो के निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर तक यथावत रहे है, जिनमें न्यायालय हाजा को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नही है। सभी निर्णय पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर पारित किये गये है, जो सर्वथा विधि अनुसार है। नामांतरकरण का विभाजन से कोई संबंध नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील मय हर्जा व खर्चा खारिज फरमायी जावें।

अभिभाषक अपीलांट सं. 6 ने अपील का गुण–दोष के आधार पर निस्तारण करने निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना एवं मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल नामान्तरकरण व दस्तावेजात का अध्ययन किया। पत्रावली व दस्तावेजात का अध्ययन करने से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामांतकरण स्वीकृत करने में राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय को अपना मुख्य आधार बनाया है। अभिभाषक अपीलांट्स का कथन है कि उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 26.08.2016 को रीट संख्या 10879/2016 पेश कर दी थी, जो जेरेकार थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25.10.2016 को यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन जारी कर दिया, जो जेरेकार है।

उक्त निर्णय की रिट अपीलांटस ने माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में रिट संख्या 10879/2016 पेश की, जिसमें दिनांक 25.10.2016 को यथास्थति का आदेश दिया गया। उक्त आदेश से पूर्व ही राजस्व मण्डल, राजस्व अपील अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी देवली के निर्णयों की पालना में नामांतकरण दिनांक 20.10.2016 को राजस्व रिकॉर्ड में भरा जा चुका था। इस प्रकार नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के दौरान विवादित भूमि पर किसी प्रकार का स्थगन नहीं था।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

रेस्पोडेंट के हक में किया गया 1/3 हिस्से की भूमि का नामांतकरण सक्षम न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णय के आधार पर किया गया है, जो वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है अर्थात Sub Judice है और जहां मैटर सक्षम न्यायालयो ने निर्णित होने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय में Sub Judice हो तो प्राइमाफैसाई प्रस्तुत अपील चलने के योग्य नही है।

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील अपीलांटस अस्वीकार की जाती है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27/3/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक